

बालाघाट जिले में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन एवं मूल्यांकन

राजेश बोरकर
शोधार्थी अर्थशास्त्र
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. उमेश कुमार दुबे
प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय कन्या महाविद्यालय, राड़ी
जबलपुर (म.प्र.)

शोध सारांश :-

आबादी किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का सदोपयोग संभव हो पाता है न ही कुशल, प्रशिक्षित एवं मेहनती, श्रम शक्ति द्वारा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी मानव शक्ति समूह की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। साक्षरता मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता का एक सूचकांक है। कम साक्षरता से आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास में रुकावट आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत लोग साक्षर थे। यद्यपि यह प्रतिशत 1901 की साक्षरता का 14 गुणा एवं 1951 का 4 गुणा है परन्तु देश की जनसंख्या के वृद्ध आकार के कारण विश्व में सर्वाधिक निरक्षरों की संख्या भारत में पाई जाती है। ये देश के परम्परावादी, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में पाई जाती है। अनुसूचित जनजातियां हिन्दू समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हीन जाति समूह को प्रदर्शित करती है, इनमें अधिकांश श्रमिक, छोटे किसान और दस्तकार हैं। इनके भौगोलिक वितरण से देश में गरीबी के प्रादेशिक परिमाण का अंदाज लगाया जा सकता है। अनुसूचित जातियां एक विषम जातिय समूह है, इसमें 542 जातियां शामिल है। भारत में स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 10.47 करोड़ और वर्ष 2011 में 20.14 करोड़ (जो कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत) हो गई है।

मुख्य शब्द – महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति, अस्पृश्यता, मूल्यांकन, मानव विकास, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, नारी प्रगति।

प्रस्तावना -

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता बेहतर विकास कार्यशीलता और बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से समझने की कोशिक करे, तो नारी का सशक्तिकरण एक सम्पूर्ण विकास या सर्वांगीण व बहुआयमी विकास की प्रक्रिया से लिया जाता है।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब नारी को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, उन्हें पुरुषों के साथ साथ हर क्षेत्र में कदम से कदम साथ देना को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण है। महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलम्बन, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए विभिन्न आयामों तक पहुँच सुनिश्चित करती है। सशक्तिकरण का दायरा व्यक्तिगत हक को प्राप्त करने से लेकर सामुहिक विरोध प्रदर्शन करने और शक्ति के सम्बंधों को चुनौति देने के लिए संगठित होने की प्रक्रिया को सशक्तिकरण शब्दावली से लिए जाता

है। अर्थात् नारी को जीवन जीने हेतु सम्पूर्ण अधिकार दिलाने की प्रक्रिया ही सशक्त या सशक्तिकरण प्रक्रिया कहलाती है। अपने अधिकारों के लिए क्षमताओं योग्यताओं तथा जिम्मेदारियों तथा रूचि सम्बन्धी कार्यों के प्रति रूचि जाग्रत करनी ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया के तहत महिला विरोधी तकतों को निर्बल बनाया जाता है। जैसे कि परिवार में असमानता एवं दहेज प्रताड़ना के विरोध आवाज उठा कि शिक्षा प्रदान करती है। यदि सही मायनों में महिलाओं का उत्थान होता है, तो पुरुषों का हुक्म और दबाव जैसे घर से बाहर नहीं जाना महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदी अपनी इच्छानुसार कार्य की प्रवृत्ति का नहीं पाये जाना इस प्रकार कें दबाव सशक्तिकरण के दौरान कम हो जायेगे। भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है।

प्रागैतिहासिक युग में महिला की स्थिति का स्थान पुरुष वर्ग के समान नहीं था, अपितु प्राचीन काल में पुरुषों से श्रेष्ठ की स्थिति थी। क्योंकि परिवार मातृसत्तात्मक था। प्राचीन ग्रन्थों में "स्त्रीहि ब्रह्मा बभूविवि" अर्थात् उन्हें ब्रह्मा का निर्माणकर्ता बताया गया है। प्राचीन काल में महिलाओं को श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे कालक्रम के अनुसार महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हुआ। विशेष रूप से मध्यकाल में नारी शक्ति की दुर्गति होना प्रारम्भ हो गई थी नारी को भोग विलास की वस्तु समझने लगे थे। स्वतंत्रता युग एवं नतून युग में पुनः नारी उत्थान से सम्बंधित योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 ई. के बाद अर्थात् स्वाधीनता के बाद जो काल प्रारम्भ हुआ था। उसे इतिहास में "नारी प्रगति का युग" कहा गया है।

भारतीय नारी समाज में बहुत उतार चढ़ाव हुआ और धीरे-धीरे महिला सशक्तिकरण की और अग्रसित होती गई है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन एवं शासन की व्यवस्था को सफल संचालित करने हेतु नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। इसलिए भारत देश के लोकतंत्र को संचालित करने हेतु पुरुष एवं नारी का समन्वय की भावना से सहयोग होना चाहिए। नतून शताब्दी एवं महिला सशक्तिकरण के युग में महिला नेतृत्व अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज महिला किसी भी वर्ग की हो सभी को भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं, कि अति प्राचीन काल में महिला उत्थान में उतार-चढ़ाव आया था, फिर मध्यकाल में स्थिति खराब हुई तथा आज वर्तमान काल में धीरे-धीरे महिला संशक्तिकरण अर्थात् महिला अधिकारों के प्रयास अच्छे किये जा रहे हैं।

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है, कि महिलाओं को अपने जीवन के सभी फैसले सही लेना की स्वतंत्रता से लिया गया है। या नारी में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशलता का विकास करना, ताकि महिला अपनी जिन्दगी के फैसले स्वयं ले सकें। और नारी को इतना ज्ञान हो जाये की मेरे लिए जो निहित कार्य कितना ? सही है। या नहीं जैसी क्षमता उत्पन्न करना ही सशक्तिकरण से लिया जाता है। सशक्तिकरण शब्द का निर्माण मुख्य रूप से तीन शब्दों के योजक से हुआ है। जो निम्न है :- स+शक्ति+करण यहां "स" उपसर्ग है। "शक्ति" संज्ञा है। तथा "करण" प्रत्यय है। इनसे मिलकर सशक्तिकरण शब्द का निर्माण हुआ है। इस करण प्रत्यय शब्द से ध्वनि अर्थ लिया जाता है। शक्ति सहित गत्यात्मक गति सशक्तिकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात् निर्बल से सबल बनने की प्रक्रिया है। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति अर्थात् महिला या पुरुष वह है, जो अपने जीवन से सम्बंधित नीति निर्णय स्वयं लेने में पूर्व रूप से स्वतंत्र हो जैसा :- कि सामाजिक गतिविधियों में जिसमें विवाह संतानोत्पत्ति, कारोबार, शिक्षा, भ्रमण एवं देशोत्तन में किसी तरह का सामाजिक बंधन नहीं होता है। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अधिक महत्व पूर्ण होती है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक अवधारणा का यह निष्कर्ष है, कि प्राचीन भारतवर्ष में महिला को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये थे। इस समय महिला को पूर्ण गारिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार था, लेकिन महाभारत काल में नारी की गारिमा नष्ट होने लगी थी। धीरे-धीरे नारी का पतन प्रारम्भ होगा गया था। महिलाओं से उठने-बैठने तथा शिक्षा का अधिकार छिन्न

लिये गये थे। महिलाओं की दयनीय एवं चिंताजनक स्थिति होती जा रही थी। इस प्रकार वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर दृष्टि डाले तो हम पाते हैं, कि महिला की स्थिति धीरे-धीरे सशक्तिकरण के आयामों को प्राप्त करते हुए विकास की प्रक्रिया को छू रही है। दमन, दलन तथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न से मुक्त होकर जागरूकता की ओर बढ़कर भारतीय समाज में महिलाएँ श्रेष्ठ है निर्मात्री की उपमा प्राप्त कर रही हैं। आज की नारी पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है।

“बीना अग्रवाल मुख्य अर्थशास्त्री” के अनुसार – महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, कि जिसमें दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की बढ़ने से किया है। जिसमें नारी अपने आपको निम्न आर्थिक एवं सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। नारी सशक्तिकरण से यह अर्थ लिया जाता है, कि नारी को समाज में आत्मनिर्भर बनाया है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है।

डॉ. दिग्विज सिंह– महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय लोक तंत्र में नारी की भागीदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का सबसे अच्छा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की परिभाषा होगी समाज अपना राजनैतिक तथा आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी समान कार्य का समान वेतन कानून के समान कार्य का समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा प्रजनन का अधिकार आदि है।

डॉ. अरुण कुमार सिंह : “महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाया जाए तकि महिला समरसता के साथ जीवन यापन कर सके।

लीना मेंहदले के अनुसार : सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष रूप से आन्तरिक कौशलता, सामाजिक दशाओं पर निर्भर है। इनमें प्रमुख तत्व पाये जाते हैं :-

1. निर्भयता जिसके लिए समाज में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का होना।
2. रोजमर्रा के दौरान किये जाने वाले नीरस और उबाऊ तथा शारीरिक थकान करने वाले कार्यों से मुक्ति।
3. आर्थिक रूप से निर्भरता एवं उत्पादन की क्षमता में सम्पन्न होना।
4. निर्णय लेने का अधिकार
5. महिलाओं को सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के साथ सहभागिता में समानता का पाया जाना।
6. शैक्षणिक जागरूकता जो नारी को उपर्युक्त आयामों परिस्थितियों के लिए तैयार कर सके।

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण करने में बेहतर मौका मिल जाता है। इसका तात्पर्य केवल संसाधनों की सम्पन्न से ही नहीं लिया है, अपितु इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मविश्वास में वृद्धिकरण एवं पुरुष वर्ग के साथ सभी कामों में बराबरी से लिया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि “ लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो मानवीय गरिमा की स्थापना की चाहिए तथा लैंगिक असमानता को दूर करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नेहरू जी का मानना था, कि लिंग के आधार पर नारी के साथ किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए।

निशांत मीनाक्षी ने लिखा है, कि सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को सम्पन्न बनाना, ताकि विश्व की 50 प्रतिशत जनसंख्या सुदृढ़ या सबल एवं आत्मनिर्भर हो सकती है।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, सशक्त होने की स्थिति को सशक्त बनाने की कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया हो।

यू.एन.ओ की संस्थायूनियुनिफेम (UNIFEM—महिला संयुक्त राष्ट्र विकास कोष) के अनुसार सशक्तिकरण की परिभाषा इस प्रकार है – नारी सशक्तिकरण से स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को समझा जा सकता है, जो स्वयं का मूल्य समझते हुए निर्णय लेने की कौशलता विकसित करना है। स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णय महिला अपने आप ले सके। सामाजिक परिवर्तन की स्थिति समझने की और संगठित करने की क्षमता को विकसित करना है।

विश्व बैंक के अनुसार— नारी सशक्तिकरण अवसर तैयार करने तथा इच्छित कार्यों एवं परिणामों से अन्य उन अवसरों को परिवर्तन करने के लिए व्यक्तियों या समूह की क्षमता बनाने की प्रक्रिया से लिए जाता है।

गांधी के अनुसार :- “हमारा सर्वप्रथम प्रयास यह है कि अधिक से अधिक नारियों को वर्तमान परिदृश्य के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।

यू.एन-डीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट) के अनुसार— नारी सशक्तिकरण का महत्व इस बात से है, कि सदियों से चली आ रही पुरुष एवं महिलाओं के मध्य विकास की खाई को दूर करना। लैंगिक समानता एवं गरीबी की कमी, प्रजातंत्र शासन—व्यवस्था विभिन्न कुप्रथाओं की रोकथाम सत्त विकास एवं पर्यावरण में महिलाओं की भागीदारी में महिलाओं की भागादारी सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण से मतलब है, कि राजनैतिक एवं आध्यात्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में सुनिश्चित भागीदारी से लिया जाता है। सामाजिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि— अनुसंधान का महत्वपूर्ण बिन्दु अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। सामाजिक अनुसंधान इस मान्यता पर आधारित है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में अनेक जाति एवं वर्ग—विशेष में रहता है। वर्ग—विशेष में मनुष्य की दशाएँ उसकी जीवन—शैली, आकांक्षा एवं जीवन से संबंधित विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय परिक्षेत्र में रहने वाले उच्च तथा मध्यम और निम्न—वर्ग की जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न होती है। फिर चाहिए वैदिक काल हो या उत्तर—वैदिक—काल तथा मध्यकाल हो या फिर वर्तमान काल इन सभी कालों में महिलाओं का स्थान द्वितीय अर्थात् भारतीय समाज—व्यवस्था में एक तरफ भेदभाव, असमानता, जातिवाद, धर्मवाद तथा ऊँच—नीच, अमीर—गरीब जैसी असमानता पायी जाती है, तो वही दूसरी ओर पुरुष एवं महिला भेदभाव, लिंग भेदभाव जैसी असमानता या विषमता देखी जाती है। वर्तमान भारतीय समाज में असमानता व शोषण की घटनाएँ प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। लैंगिक आधार हो या जातिगत आधार दोनों प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, आज नारी—वर्ग पर बहुत—सी पाबंदियाँ, पर्दाप्रथा तथा महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दिखाई देती है।

आर्थिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि :

अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इस समुदाय की अधिकांश महिलाएँ मजदूरी का कार्य करती हैं। और अपना जीवन गुजारती हैं। इस समाज की महिला की हालात दयनीय है। यह समुदाय भूमिहीन है। अतः निवास हेतु कई परिवारों के पास दो गज जमीन भी उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोरी का कारण उच्च—वर्गों या सवर्ण—वर्गों के द्वारा मानसिक रूप से निर्धारित की गई आर्थिक निर्योग्यताएँ हैं। यदि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएँ या पुरुषों के द्वारा किसी स्थान—विशेष पर कोई कारोबार या दुकान या जीवन गुजारने के लिए यदि कुछ कार्य भी करते हैं, तो जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास या ओछी मानसिकता के कारण उच्च—वर्ग विशेष के व्यक्ति उपक्रम नहीं खोलने देते हैं। यदि खोल भी लेते हैं, तो जातिवाद के कारण बिक्री नहीं होती है। तथा बंद हो जाती है, लेकिन आज वर्तमान में धीरे—धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है तथा अनुसूचित जनजाति के समुदाय में सरकार या विभिन्न गैर—सरकारी एजेंसी के द्वारा इनमें जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण आज यह समाज तरक्की की ओर अग्रसित हो रहा है।

राजनीति सशक्तिकरण – किसी भी समाज का राजनैतिक वजूद होना आवश्यक है। क्योंकि सर्वसमाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके अपने तथा अन्य के योगदान देने हेतु अवसर सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन भारत में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी कम ही पायी जाती है। यह कारण है क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, भाई-भतीजावाद आदि। आजादी से पूर्व अनुसूचित जनजाति समुदाय की राजनैतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन विभिन्न समाज सेवकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान युग में संवैधानिक अधिकारों के परिणाम स्वरूप स्थिति में सुधार आया है।

शोध उद्देश्य –

भारत के आजाद होने से पूर्व तथा आजादी के बाद भी समाज का एक वर्ग जो सामाजिक सरोकार से पृथक कर दिया गया था या स्वयं अभाव ग्रस्त होने के कारण अन्य – वर्गों या जातियों से अलग हो गया था। इस समाज के उत्थान हेतु विभिन्न समाज सुधारकों, धर्मगुरुओं, शिक्षकविदों तथा समाजशास्त्रियों और सरकारी तथा गैर – सरकारी –तंत्र ने अपने-अपने स्तर से समाज में व्याप्त बुराईयों, कुर्रितियों, कु-प्रथाओं तथा निर्धनता को नष्ट करने हेतु अपने तरीकों से कालक्रमानुसार प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना ही शोध-कार्य का मूल उद्देश्य है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की शैक्षणिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन एवं मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, कि अभी तक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला सशक्तिकरण की योजनाओं तथा कार्यक्रमों एवं शिविर के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। आज भी अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, इस समुदाय की महिलाएँ पति या परिवार के पुरुष के निर्णय पर ही नीतियों एवं कार्यों को प्रारम्भ या सम्पन्न करती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भल्ला, एल. आर. 2021, राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर पृ. सं. 1-30
2. दाधिच, पी.एन., हानोका, 2011, क्षेत्रिय अस्थायी नगरीय अभिवृद्धि, जयपुर-जर्नल, 18
3. डिस्ट्रीक्ट सेन्सुई हैण्डबुक, 2011, राजस्थान जिलेवार जनसंख्या पुस्तक, पृ. सं. 15-16
4. एफ.एस.आई., 2015, मध्यप्रदेश राज्य वन प्रतिवेदन, 2015
5. बालाघाट विकास प्राधिकरण, बालाघाट, मास्टर प्लान विकास योजना,
6. खान, एस.एच, 2013 राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, जयपुर पब्लिकेशन, पृ. सं. 32-50
7. डॉ. एम.डी. मोर्य, सांस्कृतिक भूगोल, पृ. सं. 5
8. ओम प्रकाश जोशी, राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा राज प्रकाशन, जयपुर पृ. सं 2-4
9. ब्रटून, टी.एल. वर्ष 1970, एंटरटेनमेंट, रिसर्च एण्ड प्लानिंग, अनविन एण्ड एलन, लंदन

10. एस.एन. चिब, 1980, पर्यटन नीति— एक राजनीतिक अपराध पूर्वी अर्थशास्त्री
11. सुहिता चोपडा, 1991 ई, "भारत में पर्यटन और विकास" आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
12. दुलार, रवीन्द्र कुमार, वर्ष—2004, राजस्थान और धार्मिक पर्यटन केन्द्र, नवजीवन प्रकाशन टॉक
13. सिंह, जगदीश, पर्यटन व्यवसाय तथा विकास, तेज प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. आर्थिक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट, 2011,